तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२५.५.18	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटलसेवा केन्द्र ईसरदा में पेश हुई। वादी जरिये अधिवक्ता एवं प्रतिवादी स० 6 उपस्थित। उभयपक्षकारान अनुसार वादिया का ग्राम ईसरदा स्थित ख०स० 4050 रकबा 1.26 हैक्टर संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 1/6 हिस्सा है एवं प्रतिवादी स० 6 द्वारा प्रतिवादीगण स० 1 लगायत 5 से पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा उक्त संदर्भित आराजियात का हिस्सा खरीद लिया एवं प्रतिवादी स० 6 का 5/6 हिस्सा है। उभयपक्षकारान अनुसार वादी का ख स० 4050 रकबा 1.26 हैक्टर की पश्चिमी मेड़ पर कब्जा है एवं शेष हिस्से 5/6 पर प्रतिवादी स० 6 का कब्जा है एवं दोनो पक्षकारान अपने-अपने कब्जे अनुसार संयुक्त खातेदारी संदर्भित भूमि का सहमति से बंटवारा करना चाहते है। पटवारी हल्का ईसरदा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट में मौका निरीक्षण करवाया पर पाया कि फूला पुत्री चिमना ख स० 4050 ग्राम ईसरदा की पश्चिमी मेड़ पर अपने हिस्से अनुसार काबिज एवं शेष हिस्से पर प्रतिवादी स० 6 सीता पत्नी बबलेश काबिज है। अत: उभयपक्ष की सहमति अनुसार ग्राम ईसरदा स्थित ख०स० 4050 के रकबा 1.26 हैक्टर का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है – पक्षकार — ख०स० — रकबा — वि.विवरण (i) फूला पुत्री चिमना जाति रेगर — 4050 — 0.21 हैक्टर — पश्चिमी मेड़ से लगता (ii) सीता पत्नि बबलेश — 4050 — 1.05 हैक्टर — शेष हिस्सा उक्तानुसार उभय पक्षकारान की पृथक-पृथक खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी व नक्शा ट्रेस) में अंकित करने का निर्णय किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार हो दर्ज नं० से कमहो। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को तहरीर जारी हो।	फूला Babulal(?) सीता [illegible] बबलेश

Scanned by CamScanner